न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

1. अपील संख्याः 14/2021 निर्णय दिनांकः– 02-04-26
(जीसीएमएस संख्या 2021/132)

1. सावित्री देवी पत्नी मघदास उम्र 65 वर्ष जाति बैरागी साकिन चक 8 सी. एम. तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. श्रीमती धापी पत्नी डुंगरदास उम्र 53 वर्ष जाति बैरागी साकिन चक 8 सी. एम. तहसील पूगल जिला बीकानेर।
3. श्रीमती मूली पत्नी हरिदास उम्र 50 वर्ष जाति बैरागी साकिन चक 8 सी.एम. तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट

बनाम

1. परमेश्वरी बेवा रेवन्तदास बैरागी साकिन चक 8 सी.एम. तहसीली पूगल जिला बीकानेर।
2. महावीर
3. कानदास

पिसरान रेवन्तदास जाति बैरागी साकिन चक 8 सी.एम तहसील पूगल जिला बीकानेर।

4. मघदास
5. डुंगरदास
6. हरिदास

पिसरान लालदास जाति बैरागी साकिन चक सी.एम तहसील पूगल जिला बीकानेर।

7. मु. चिमा
8. मु. रामी
9. मु. माली
10. मु. संती
11. मु. लाछा
12. मु. भादू
13. मु. गीता

पिसरान लालदास जाति बैरागी साकिन चक सी.एम तहसील पूगल जिला बीकानेर।

14. किस्तुरी
15. पाना
16. हीरदास
17. कालुदास
18. अनादास

पिसरान स्व. उदी पुत्री लालदास जाति बैरागी साकिन चक 7 के.वाई.एम. राववाला तहसील बज्जू जिला बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

19. कोलुराम
20. गोगली
21. सरबती
22. हेतराम

पिसरान स्व. रूकमा पुत्री लालदास जाति बैरागी साकिन किशनपुरा नई आबादी सुरतगढ तहसील सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

23. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व), पूगल।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 15—10—2019
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितः—

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री नरेन्द्र गोड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 3
3. श्री विजय कुमार, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 13
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के निर्णय व डिक्री दिनांक 15—10—2019 जिसके द्वारा अपीलांट का घोषणात्मक व रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं खाता तकसीम के वाद को खारिज किया गया के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट के ससुर लालदास पुत्र किसनदास को महाजन फिल्ड फायरिंग रेंज विस्थापन में चक 8 सी.एम. के मुरब्बा नम्बर 6/45 के कि.न. 4 ता 8 13 ता 18 तादादी 11.00 बीघा मु.न. 6/61 के कि.न. 11, 12, 19 ता 22 तादादी 06.00 बीघा, मु.न. 6/54 के कि.न. 3 ता 8, 13 ता 18, 25 तादादी 13.00 बीघा, मु.न. 6/62 के कि.न. 11 ता 13, 17 ता 24 तादादी 11.00 बीघा, मु.न. 6/63 के कि.न. 2 ता 9, 13, 14, 18 तादादी 11.00 बीघा कुल तादादी 52.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड एंव ससुर का पैतृक मु. न.

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

6/53 के कि.न. 16 ता 21, 23 ता 25 तादादी 09.00 बीघा एंव मु.न. 6/62 के कि.न. 1 ता 4, 7 ता 10,14 तादादी 09.00 बीघा तादादी 18.00 बीघा इस प्रकार कुल तादादी 70.00 बीघा खातेदारी शुदा थी। जिसमे 52.00 बीघा भूमि की ससुर लालदास ने अपने जीवनकाल मे अपीलान्ट के हक मे दिनाक 06.02.1998 को रजिस्टर्ड वसियत कर दी और 18.00 बीघा भूमि जो लालदास को अपने पिता से मिली उसको ऐसे ही छोड दी जो उतराधिकार नियमो अनूसार सब वारिसो मे बहिस्सा बराबर रही। जिसमे सिचाई सुविधा उपल्बध है अपीलान्ट आवटन से लेकर आज तक उक्त भूमि पर निर्बाध रूप से वसियत अनुसार काबिज काष्त है तथा मौके पर सरसो, हरे चारे की फसल खडी है तथा ढाणी बनाकर सपरिवार रहवास कर रहे है। यही एक मात्र जिविकोपार्जन का साधन है। ससुर लालदास ने अपनी स्वअर्जित भूमि 52.00 बीघा को उप पजींयक बीकानेर मे दिनाक 06.02.1998 को अपीलान्ट के पक्ष मे वसीयत पेश कर दी जो दिनाक 17.02.98 को पुस्तक स.3 जिल्द स. 75 पृष्ठ स. 37 पर पजीबद्ध कर तस्दीक की गई जिसमे अपीलान्ट स. 1 को चक 8 सी.एम. के मु.न. 6/45 के कि.न. 4 ता 8, 13 ता 18 तादादी 11.00 बीघा, मु.न. 6/61 के कि.न. 11, 12, 19 ता 22 तादादी 06.00 बीघा कुल तादादी 17. 00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड, अपीलान्ट स. 2 को मु.न. 6/54 के कि.न. 3 ता 8, 13 ता 18, 25 तादादी 06.00 बीघा, मु.न. 6/63 के कि.न. 2 ता 9, 13, 14, 18 तादादी 11.00 बीघा कुल तादादी 17.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड एंव अपीलान्ट स. 3 को मु.न. 6/54 के कि.न. 13 ता 18, 25 तादादी 07.00 बीघा, मु.न. 6/62 के कि.न. 11 ता 13, 17 ता 24 तादादी 11.00 बीघा कुल तादादी 18.00 बीघा कमाण्ड / अनकमाण्ड वसीयत करके अपने जीवनकाल में ही बंटवारा कर दिया और पैतृक 18.00 बीघा को खुल्ला छोड दिया गया। जिसको अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट स. 1 ता 3 को परिवारिक सहमति से दे दिया गया और आज दिनाक उसी मुताबिक काबिज काश्त है।

अपीलान्ट के ससुर का गंभीर बिमारी और लकवे से ग्रस्त लम्बी अवधि तक कोमा में रहते हुए दिनाक 17.10.2000 को देहान्त हो गया तो अपीलान्ट ने वसियत की पालना मे ईन्तकाल दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार कोलायत न. 1 को दिया तो उन्होने प्रकरण दर्ज कर दिनाक 02.02.2001 को दैनिक अखबार मे सुचना प्रकाशन कर आपत्तिया मागी और कहा गया कि बाद सुनवाई आपके नाम इन्तकाल दर्ज कर देगे हमारा काम

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

है लेकिन दिनाक 7.11.02 को रेस्पोडेन्ट स. 1 ता 3 ने अपीलान्ट की ढाणी में आकर धमकी दी की खेत व ढाणी खाली करो सारी भूमि हमने हमारे नाम दर्ज करवा ली है तो जानकारी करने पर पता चला की रेस्पोडेन्ट स. 1 ता 3 ने एक फर्जी वसियत समस्त भूमि की दिनाक 2.10.2000 की तैयार कर तहसीलदार के साथ साठ–गांठ कर एकतरफा कैम्प अमरपुरा मे दिनाक 10.06.2002 को एक ही दिन मे समस्त कार्यवाही कर इन्तकाल स. 55 दर्ज करवा लिया। जिससे व्यथित होकर वाद स. 24/2002 सक्षम न्यायालय मे पेश कर अपने अधिकारो की घोषणा के साथ निष्प्रभावी आदेश को निरस्त करने का अनुतोष के साथ अपनी वसियत मुताबिक खातेदार दर्ज करने का निवेदन किया जो बहस की स्टेज पर क्षेत्राधिकार परिर्वतन होकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पूगल को प्राप्त हुआ जहा वाद स. 87/2016 दर्ज होकर जैर अपील आदेश द्वारा फैसल कर दिया। आनन फानन मे बिना सुस्थापित प्रक्रिया के जैर अपील आदेश पारित कर अपीलान्ट के हितो पर कुठाराघात किया है अधिनस्थ न्यायालय ने कानून के विवेचन मे भारी भूल की है इसलिए उक्त जैर अपील आदेश दिनाक 15.10.19 कायम योग्य नही है। रेस्पोडेन्ट स. 4 ता 22 ने परिवारिक समझौते और मृतक लालदास के जिवनकाल मे हुए बटंवारा और रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 17.2.98 का सम्मान कर इकबालिया जवाब पेश कर वाद डिकी किया जाता है तो उन्हे कोई आपति नही है का कथन किया और समस्त गवाहो ने अपने बयानो और जिरह मे रजिस्टर्ड वसीयत दिनाक 17.02.98 को सही माना तथा कब्जा काश्त भी वाद मुताबिक माना लेकिन अधीनस्थ न्यायलय ने सरी सरी तौर पर बिना पत्रावली का अवलोकन किए और ना बहस के कथनो पर मंथन किये केवल यह कहते हुए की न्यायालय दोनो वसियतो की सदिग्धता या सत्यता पर नही जाता है यह सक्षम न्यायालय का विचारणीय बिन्दू है वाद पत्र खारिज किया जाता है ना ही पर्चा डिकी का आदेश दिया जो स्पीकिंग आदेश की श्रेणी मे नही है जैर अपील आदेश कतई मेन्टन रखने योग्य नही है वाद पत्र मे जो अनुतोष चाहे गऐ है उन तक अधिनस्थ न्यायालय गया ही नही है। उक्त भूमि बतौर महाजन फिल्ड फायरिंग रेन्ज मे अवाप्त के बदले आवंटन शुदा है और राजस्थान उपनिवेषन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 7 एफ के अन्तर्गत भूमिहीन की श्रेणी में किया गया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 और राजस्थान उपनिवेषन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत बनाये गये विभिन्न नियमों के अन्तर्गत विभिन्न

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

श्रेणी के व्यक्तियों को कृषि भूमि आवंटन किये जाने के प्रावधान है। और अलग–अलग श्रेणी के व्यक्तियों को भूमि आवंटन हेतु अलग–अलग पात्रतायें निर्धारित है। जहां व्यक्तिगत पात्रता के आधार पर भूमि आवंटन की जाती है उसे स्वअर्जित सम्पति कहा जा सकता है जबकि उक्त वादगत भूमि बतौर भूमिहीनता का निर्धारण करते समय उसके परिवार की भूमि के अनुपात में कम या ज्यादा कर दी जाती है तथा भूमिहीन व्यक्ति को आवंटन करते वक्त उसके परिवार के सदस्यों के नाम भूमि की उपलब्धता को देखते हुये ही आवंटन किया जाता है और वह उसकी व्यक्तिगत पात्रता नहीं परिवार की सांझा पात्रता है और भूमिहीन परिवार को परिवार के मुखिया के नाम से आवंटन किया जाता है। और वह आंवटी यदि इसका हंस्तान्तरण कर देता है तो वह परिवार को निराश्रित छोड देगा और भूमि आवंटन का प्रयोजन ही विफल हो जायेगा। इस प्रकरण मे पारिवारिक समझोते एव बंटवारे अनुसार सभी वारिसो ने सहमति से वसियत दिनाक 6.02.98 करवाकर दिनाक 17.02.1998 को दर्ज करवाई और पैतृक भूमि 18.00 बीघा जो स्वअर्जित नही थी को रेस्पोडेन्ट के हक मे छोड चारो पुत्रो को बराबर बंटवारा किया गया। ससुर के फौत हो जाने से रेस्पोडेन्ट स. 1 ता 3 ने लालच वश समस्त भूमि 70.00 बीघा की फर्जी वसियत बना ली जबकि ससुर को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। क्योकि उक्त भूमि पुष्तैनी भूमि है और भूमिहीन आवंटन है भूमिहीन आंवटन पर समस्त परिवार का हितनिहित है और ससुर/पिता का मानसिक सन्तुलन सही नही था जो रहन, बैय एंव किसी प्रकार से हस्तान्तरण करने की स्थिति में नहीं थै। अपीलान्ट हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत उक्त भूमि के जन्म से अधिकारी है तथा अपने हको तक की भूमि अपने नाम रिकार्ड मे दर्ज करवाने के विधिक अधिकारी है। अपीलान्ट ने थक हारकर 18.00 बीघा के लिए एक प्रार्थन पत्र 06. 06.2002 को विरास्तन दर्ज करने का भी दिया जो पैरोकार अपने जवाब मे स्वीकार करते है तथा जब वसीयत प्रकरण दर्ज होकर जैरकार था ऐसी दशा मे अन्य प्रकरण समान श्रेणी का अलग से नही खोला जाता। जब इन्तकाल की कार्यवाही लम्बित चल रही थी उसका निस्तारण किए बगैर सेम परोसडिंग की मनाही है और वसीयत प्रकरण मे साक्ष्य और सबुत व कब्जा काश्त की रिपोर्ट लेकर निर्णय करना चाहिए था लेकिन उक्त प्रकरण मे एक ही दिन दिनाक 10.6.2002 मे सारी कार्यवाही कर इन्तकाल स. 55 भर दिया गया तथा राजस्व ग्रुप 6 विभाग राज. जयपुर के पत्रांक एफ–68 राज–6/98 दिनांक 15.03.08 से निर्दिष्ट किया

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

गया है कि अधिसुचित क्षेत्रो मे नामान्तरण खोलने से पुर्न राज. भू राजस्व भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 133 क की पूर्णत पालना कि जावे एंव केवल रजिस्ट्रीशुदा दस्तावेजो मे कब्जा स्थानांतरण का अकंन हो जाने मात्र को कब्जे का वास्तविक हस्तानान्तरण नही माना जावे अपितु पटवारी मौके की स्थिति के अनुसार कब्जा दिये जाने की जाचं पक्की तरह से कर लेवे। यदि कब्जा सिद्ध नही होता है तो नामान्तरण निरस्त कर दिया जाना चाहिए। और उक्त प्रकरण मे कब्जा आज दिनांक तक अपीलान्ट के पास है इस प्रकार उक्त जैर अपील आदेश स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नही आता है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर उक्त जैर अपील आदेश एवं डिकी दिनांक 15–17–2019 निरस्त किया जाकर अपीलांट के वाद पत्र को स्वीकार कर खातेदार घोषित किया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अभिभाषक अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट अनपढ महिलाए है और कानून की बारिकीयो का ज्ञान नही है देशव्यापी कोरोना माहमारी के चलते अपीलान्ट घर से नही निकली और दिनांक 26.01.21 को रेस्पोडेन्ट स. 2 ने अपीलान्ट को धमकी दी कि मैने आपका दावा खारिज करवा दिया है तथा दौ–चार दिन मे ऋण भी उठा लुगा और मौका मिला तो कब्जा भी कर लुगा इस धमकी से अपने वकील से सम्पर्क कर जैर अपील आदेश की जानकारी कर जैर अर्पाल आदेश की नकल लेकर अपने वकील से मिलकर जानकारी के दिन से अन्दर मियाद अपील पेश कर रही है उन्होने अपील पेश करने मे कोई देरी नहीं की है वो निर्दोष है न्यायहित मे सुना जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार फरमाई जानी न्यायहित में आवश्यक हैं। धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत हैं। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

6. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने पत्रावली पर बहस करते हुए कथन किया कि लालदास पुत्र किसनदास को महाजन फिल्ड फायरिंग रेंज विस्थापन में चक 8 सी.एम. के मुरब्बा नम्बर 6/45 के कि.न. 4 ता 8 13 ता 18 तादादी 11.00 बीघा मु.न. 6/61 के कि.न. 11, 12, 19 ता 22 तादादी 06.00 बीघा, मु.न. 6/54 के कि.न. 3 ता 8, 13 ता 18, 25 तादादी 13.00 बीघा, मु.न. 6/62 के कि.न. 11 ता 13, 17 ता 24 तादादी 11.00 बीघा, मु.न. 6/63 के कि.न. 2 ता 9, 13, 14, 18 तादादी 11.00 बीघा कुल तादादी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

52.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया था। लालचंद का देहान्त दिनांक 17–10–2000 को हो गया था। लालचंद के देहान्त के उपरान्त अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 136 आरटीए का प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के नाम लालचंद के द्वारा दिनांक 02–10–2000 को वसीयत की गई तथा वसीयत के अनुसार मौके पर कब्जा व काश्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 का है। स्व. लालदास द्वारा दिनांक 02–10–2000 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के पक्ष में वसीयता की गई जिसमें पूर्व वसीयत निरस्त है। पूर्व वसीयत निरस्त होते हुए अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया गया है। उक्त वसीयत की सत्यता की जॉच का कार्य राजस्व न्यायालय का नही है। उक्त कार्य सिविल न्यायालय के अधीन आता है। इसलिए अपीलांट का दावा क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण भी खारिज किये जाने योग्य था। अपीलांट द्वारा लालदास की दो पुत्रियॉ जो फौत हो चुकी है। उनको पक्षकार ही संयोजित नही किया गया है। अपीलांट द्वारा मूल रूप से दावा अपनी वसीयत दिनांक 06–02–1998 को सही बताकर दावा प्रस्तुत किया गया है। तथा इसके पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के पक्ष में एक वसीयत जो दिनांक 06–02–1998 को निरस्त करते हुए लिखी गई है यह पश्चातवृति वसीयत है। इस आधार पर इंतकाल नम्बर 55 सक्षम अधिकारी द्वारा तस्दीकशुदा है उसे निरस्त करने की इन्तदुआ अपीलांट द्वारा की गई है। इंतकाल का आदेश एक अपीलेबल आदेश है उसकी मियाद निकलने के पश्चात दावा के द्वारा उक्त इंतकाल निरस्त करवाना चाहती है तो बैकडोर एन्ट्री की तारीख में आता है। स्व. लालदास द्वारा जो वसीयत दिनांक 06–02–1998 को की गई थी उसे अपने जीवनकाल में ही निरस्त कर दिया गया था तथा दूसरी वसीयत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के पक्ष में कर दी गई थी। परन्तु अपीलांट द्वारा केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 को तंग व परेशान करने की गर्ज से यह अपील पेश की है। जो खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, पूगल दिनांक 15–10–2019 यथावत बहाल रखा जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

7. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15–10–2019 के विरूद्व अपील दिनांक 04–03–2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्ट अनपढ़ महिलाए है और कानून की बारिकीयो का ज्ञान नही है देशव्यापी कोरोना माहमारी के चलते अपीलान्ट घर से नही निकली और दिनांक 26.01.21 को रेस्पोडेन्ट स. 2 ने अपीलान्ट को धमकी दी कि मैने आपका दावा खारिज करवा दिया है तथा दौ–चार दिन मे ऋण भी उठा लुगा और मौका मिला तो कब्जा भी कर लुगा इस धमकी से अपने वकील से सम्पर्क कर जैर अपील आदेश की जानकारी कर जैर अपील आदेश की नकल लेकर अपने वकील से मिलकर जानकारी के दिन से अन्दर मियाद अपील पेश कर रही है इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कथन है कि अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश के विरूद्व प्रस्तुत अपील मियांद बाहर होने से मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि प्रकरण में सभी पक्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित आ चुके है तथा विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्वान्त रहा है कि जहॉ पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो, वहॉ मियांद के बिन्दु अर्थात मियांद में अत्याधिक विलम्ब न होने की स्थिति में न्यायालय को मियांद बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। न्यायालय का यह भी मत है कि चूंकि पक्षकारान् ग्रामीण परिवेश के काश्तकार व्यक्ति होते है, जिन्हें न्यायालय के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लिहाजा प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलांट्स की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया था। उक्त दावा को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 15–10–2019 को खारिज किये जाने के फलस्वरूप अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में मुख्य विवाद स्व. लालदास पुत्र किसनदास की वादग्रस्त भूमि चक 8 सी.एम. के मुरब्बा नम्बर 6/45 के कि.न. 4 ता 8 13 ता 18 तादादी 11.00 बीघा मु.न. 6/61 के कि.न. 11, 12, 19 ता 22 तादादी 06.00 बीघा, मु.न. 6/54 के कि.न. 3 ता 8, 13 ता 18, 25 तादादी 13.00 बीघा, मु.न. 6/62 के कि.न. 11 ता 13, 17 ता 24 तादादी 11.00 बीघा, मु. न. 6/63 के कि.न. 2 ता 9, 13, 14, 18 तादादी 11.00 बीघा कुल तादादी 52.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड जो स्व. लालदास को महाजन फिल्ड फायरिंग रेन्ज विस्थापन में आवंटित हुई तथा स्व. लालदास की पैतृक भूमि मु. न. 6/53 के कि.न. 16 ता 21, 23 ता 25 तादादी 09.00 बीघा एंव मु. न. 6/62 के कि.न. 1 ता 4, 7 ता 10,14 तादादी 09.00 बीघा तादादी 18.00 बीघा इस प्रकार कुल तादादी 70.00 बीघा भूमि से संबंधित है।

अपीलांट संख्या 1 ता 3 जो कि स्व. लालदास की पुत्रवधु है उनका मुख्य कथन यह रहा है कि स्व. लालदास द्वारा स्वअर्जित भूमि 52 बीघा बाबत एक वसीयत अपीलांट के पक्ष में उपपंजीयक, बीकानेर में दिनांक 06–02–1998 को पंजीबद्ध की गई है। शेष 18 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 को पारिवारिक सहमति से दिया गया है। जवाब में रेस्पोडेन्ट का मुख्य कथन यह रहा है कि स्व. लालदास द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में दिनांक 02–10–2000 को एक वसीयत निष्पादित की है। उक्त वसीयत दिनांक 02–10–2000 पूर्व में की गई वसीयत दिनांक 06–02–1998 को निरस्त करते हुए की गई है। इसलिए वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कोई हक व हिस्सा नही है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा व जवाब दावा के आधार पर आदेशिका दिनांक 25–11–2005 द्वारा पॉच तनकीयात कायम की गई। इसके पश्चात दावा में साक्ष्य वादी व साक्ष्य प्रतिवादी तथा जिरह करवाये गये। उसके पश्चात प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गयां। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद की सम्पूर्ण प्रकिया अपनाये जाने के पश्चात तनकीवार पृथक–पृथक तार्किक विवेचन किये

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

बिना सरसरी तौर पर यह अंकित करते हुए वाद खारिज कर दिया गया कि *"वादीगण सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है।"*

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद वर्ष 2002 में संस्थित हुआ। अपीलाधीन आदेश निांक 15–10–2019 को पारित किया गया। 17 वर्षो तक वाद का विचारण/ट्रायल किया गया। दावे में सम्पूर्ण प्रकियात्मक ट्रायल होने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर निर्णय न करके क्षेत्राधिकार के आधार पर वाद वादी खारिज कर दिया गया।

यह विधि द्वारा सुस्थापित है कि शुन्यकरणीय (voidable) दस्तावेज का क्षेत्राधिकार जहॉ सिविल न्यायालय का होता है वही आरंभतः शुन्य (Ab initio void) दस्तावेज का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का होता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन भूमि की दो वसीयते पत्रावली पर उपलब्ध थी। यह भी निर्विवाद है कि वसीयत केवल स्वअर्जित संपति की ही की जा सकती है। प्रकरण में यह बिन्दू तय किया जाना था कि प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि है अथवा स्वअर्जित? इस संबंध में तनकी संख्या 2 कायम भी की गई परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तार्किक विवेचन किये हुए तनकीवार पृथक–पृथक निर्णय नही किया गया।

प्रकरण में दो वसीयते पत्रावली पर उपलब्ध थी प्रथम वसीयत दिनांक 06–02–1998 को अपीलांट के पक्ष में निष्पादित की गई जो दिनांक 17–02–1998 को उपपंजीयक द्वारा पंजीबद्ध की गई। दूसरी वसीयत दिनांक 02–10–2000 को लिखी गई जो कि वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात दिनांक 19–07–2001 को पंजीबद्ध की गई। इन दोनो वसीयतो में से प्रथम वसीयत का राज़स्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नही किया गया। दूसरी वसीयत के अमल दरामद हेतु इंतकाल संख्या 55 स्वीकार किया गया। इंतकाल संख्या 55 का अवलोकन किया गया। यह इंतकाल संख्या 55 भी दूसरी वसीयत के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नही हुआ। दूसरी वसीयत दिनांक 02–10–2000 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि इसमें यह अंकित किया गया है कि ***मेरे नाम से जो 69 बीघा कृषि भूमि है को में अपने तीन मौजूद पुत्रो व रेवन्तदास जो फौत हो चुका है उसकी पत्नी परमेश्वरी व पुत्र महावीरदास***

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

व कानदास को समान रूप से बराबर बराबर देना चाहता हूँ। बराबर बंटवारा हो।

जबकि इंतकाल संख्या 55 के द्वारा प्रश्नगत भूमि केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हुई। इस प्रकार इंतकाल संख्या 55 भी गलत रूप से दर्ज होकर स्वीकृत हुआ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नही किया गया। इस बिन्दू पर कोई तनकी कायम नही की गई। अपीलाधीन आदेश बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये सरसरी तौर पर पारित कर दिया गया। जो कि विधिक दृष्टि से उचित प्रतीत नही होता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकृत की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल का अपीलाधीन आदेश दिनांक 15–10–2019 निरस्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में पुनः सही तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी का पृथक–पृथक व तार्किक विवेचन करते हुए तनकीवार विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

8. निर्णय आज दिनांक 02.04.26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर